

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

2625/319

नाम अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर मुकाम अलवर  
उनवान अनिल बनाम तहसीलदार थानागाजी  
मुकदमा नम्बर 11/38/2025 दायर दिनांक:-31.10.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2025	<p>आज पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। दौराने अवलोकन प्रथम दृष्टया पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.04.2018 में वर्णन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2017 को उज्रदारी जारी की गई, जिसके पश्चात् दिनांक 15.09.2017 को हितबद्ध पक्षकार गोविन्दसहाय द्वारा उज्र पेश किया गया, जिसकी सुनवाई कर दिनांक 09.04.2018 को निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दोनों पक्षों को सुनवाई कर पारित किया गया है। उक्त निर्णय एल.आर. एक्ट की धारा 135(2) के अंतर्गत आता है। उक्त निर्णय के संबंध में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर सक्षम न्यायालय माननीय संभागीय आयुक्त, जयपुर को है।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। इस आदेशिका की प्रमाणित प्रति के साथ मूल पत्रावली सक्षम न्यायालय मा0 संभागीय आयुक्त, जयपुर को आगामी सुनवाई हेतु भिजवाई जावे। उभयपक्ष दिनांक 10.02.2025 को न्यायालय माननीय संभागीय आयुक्त, जयपुर में उपस्थित हों। पत्रावली नंबर से कम होकर मूल आदेशिका मय अपील की प्रमाणित प्रति के साथ तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(प्रथम)-अलवर (राज0)